TRAI SHUNS MARKET SHARE RESTRICTIONS IN CABLE TV SECTOR

In a new development, TRAI feels no need to have market share restrictions in cable TV.

Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) has recommended to the Ministry of Information and Broadcasting that there is no need to impose any market share-related restrictions on multi-system operators (MSOs) since the TV distribution market is highly competitive with multiple players vying for the consumer's share of the wallet.

The regulator, however, suggested that the ministry must monitor the developments in the cable TV sector and intervene, if necessary, at an appropriate time.

In order to enable the last mile provision of broadband services, TRAI has also recommended sharing of cable infrastructure by local cable operators (LCOs) with Telecom Service Providers (TSPs). It is pertinent to note that Bharti Airtel and Reliance Jio are already working with LCO partners to grow the wireline broadband penetration in the country.

Further, the regulator has recommended that the government must amend the Cable Television Networks (Regulation), Act 1995 to encourage LCOs to provide last-mile access to service providers for the provisioning of broadband services. TRAI has suggested the insertion of the following clause in the CTN Act, "Cable operators may strive to provide last mile access to Access service providers/Internet Service Providers in a fair, transparent, and non-discriminatory manner for the proliferation of broadband services."

On the question of imposing cross-holding restrictions amongst various categories of DPOs/service providers, TRAI noted that issues related to vertical integration, horizontal integration, and M&A are being dealt with through a separate consultation process. The

TRAI
सत्यमेव जयते
Telecom Regulatory Authority of India
(IS/ISO 9001-2008 Certified Organisation)

ट्राई ने केबल टीवी क्षेत्र में बाजार के शेयर प्रतिबंधों को दूर किया

एक नयी स्थिति विकास में, ट्राई को लगता है कि केबल टीवी में बाजार हिस्सेदारी पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से सिफारिश की है कि मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) पर बाजार हिस्सेदारी से संबंधित कोई प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टीवी वितरण बाजार अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है, जिसमें कई खिलाड़ी उपभोक्ता के बटुए के हिस्से के लिए होड़ में हैं।

हालांकि नियामक ने सुझाव दिया कि मंत्रालय को केबल टीवी क्षेत्र में विकास की निगरानी करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उचित समय पर हस्तक्षेप करना चाहिए।

ब्रॉडबैंड सेवाओं के अंतिम मील प्रावधान को सक्षम करने के लिए ट्राई ने स्थानीय केबल ऑपरेटरों (एलसीओ) द्वारा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के साथ केबल बुनियादी ढ़ांचे को साझा करने की भी सिफारिश की है। यह ध्यान देने योग्य है कि भारती एयरटेल और रिलायंस जियो पहले से ही देश में वायरलाइन ब्रॉडबैंड की पहुंच बढ़ाने के लिए एलसीओ भागीदारों के साथ काम कर रहे हैं।

इसके अलावा नियामक ने सिफारिश की है कि सरकार को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन), अधिनियम **1995** में संशोधन करना चाहिए ताकि एलसीओ को ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रावधान के लिए सेवा प्रदाताओं को अंतिम मील तक पहुंच प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ट्राई ने सीटीएन अधिनियम में निम्नलिखित खंड को शामिल करने का सुझाव दिया है, 'केबल ऑपरेटर, ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रसार के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर भेदभावपूर्ण तरीके से एक्सेस सेवा प्रदाताओं/इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को अंतिम मील तक पहुंच प्रदान करने का प्रयास कर सकते हैं।'

डीपीओ/सेवा प्रदाताओं की विभिन्न श्रेणियों के बीच क्रॉस होल्डिंग प्रतिबंध लगाने के सवाल पर, ट्राई ने कहा कि वर्टिकल इंटीग्रेशन और एमएंडए से संबंधित मुद्दों को एक अलग परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से

authority also pointed out that it has given recommendations on cross-media restrictions in the past.

TRAI's rationale behind having a liberal regulatory policy for the cable TV sector stems from the fact that the TV universe has enough competition due to the presence of diverse service providers like MSOs & LCOs, direct-to-home (DTH) operators, including DD Free Dish, Head in the Sky (HITS) operators, Internet Protocol Television (IPTV) operators and over the top (OTT) platforms.

TRAI noted that there are 1,75,511 registered MSOs (as of June) besides 4 pay DTH operators, 1 HITS operator, and a few IPTV operators (as of August). The regulator pointed out that the number of LCOs ranged from 81,706 to 1,72,063. DD Free Dish is projected to have a user base of 43 million. Additionally, there are 40+ OTT platforms.

TRAI has also contended that the TV distribution industry was facing several challenges like a declining subscriber base and low average revenue per user (ARPU). Further, pay-TV subscribers in India pay around 20 to 25% of the average price paid by TV consumers in the UK, US, Thailand, or Malaysia. The growth of the OTT landscape further illustrates that fierce competition is prevalent in the sector and it is only expected to grow in the future, the regulator added.

"Hence, considering the number of options available to the consumers, the authority is of the view that at this stage there is no need to intervene in the current structure of Cable TV distribution sector at the MSO or LCO level," TRAI averred. ■

निपटाया जा रहा है। प्राधिकरण ने यह भी बताया कि उसने अतीत में क्रॉस-मीडिया प्रतिबंधों पर सिफारिश दी है।

केबल टीवी क्षेत्र के लिए एक उदार नियामक नीति रखने के पीछे ट्राई का तर्क इस तथ्य से उपजा है कि डीडी फ्री सहित एमएसओ और एलसीओ, डॉयरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) ऑपरेटरों जैसे डिश टीवी, हेडएंड-इन-दॅ-स्काई (हिट्स) ऑपरेटर, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) ऑपरेटर और ओवर-दॅ-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म विविध सेवा प्रदाताओं की उपस्थिति के कारण टीवी ब्रह्मांड में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है।

ट्राई ने नोट किया कि **4** पे-डीटीएच ऑपरेटरों, **1** हिट्स ऑपरेटर और कुछ आईपीटीवी ऑपरेटरों (अगस्त तक) के अलावा **1,75,511** पंजीकृत एमएसओ (जून तक) हैं। नियामक ने बताया कि एलसीओ की संख्या **81,706** से लेकर **1,72,063** तक थी। डीडी फ्री डिश के **43** मिलियन यूजर बेस होने का अनुमान है। इसके अतिक्ति **40** से अधिक ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं।

ट्राई ने यह भी तर्क दिया है कि टीवी वितरण उद्योग घटते ग्राहक आधार और कम औसत राजस्व प्रति उपयोगकर्ता (एआरपीयू) जैसी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसके अलावा, भारत में पे-टीवी ग्राहक यूके, यूएसए, थाईलैंड या मलेशिया में टीवी उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गयी औसत कीमत का लगभग **20** से **25%** भुगतान करते हैं। नियामक ने कहा कि ओटीटी परिदृश्य का विकास आगे दिखाता है कि इस क्षेत्र में भयंकर प्रतिस्पर्धा है और भविष्य में इसके बढ़ने की उम्मीद है।

ट्राई ने बताया कि 'इसलिए, उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध विकल्पों की संख्या पर विचार करते हुए, प्राधिकरण का विचार है कि इस स्तर पर एमएसओ या एलसीओ स्तर पर केबल टीवी वितरण क्षेत्र की वर्तमान संरचना में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है।' ■